<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 06/2013 दायर दिनाँक **08.01.2013**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बाबुलाल पुत्र चतरदास जाति साद निवासी सिंघी तलाई के पास डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय नाौर 2. तहसीलदार, डीडवाना

रिव्यू प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01, सी.पी.सी. 114

उपस्थित :–

1. तहसीलदार, डीडवाना राज पैरोकार

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक **08.09.2022**

प्रतिवादी तहसीलदार, डीडवाना ने दिनांक 16.08.2022 को रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01, सीपीसी 114 पेश कर निवेदन किया कि श्रीमान के न्यायालय के द्वारा एक राजस्व वाद सं0 06/2013 अनवान बाबुलाल बनाम तहसीलदार डीडवाना में दिनांक 27.08.2022 को निर्णय पारित कर वाद को डिक्री किया गया। इस वाद में भूमिधारी तहसीलदार डीडवाना को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही भूमिधारी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर वाद को निर्णित कर दिया गया जबकि राजहित को देखते हुए भूमिधारी को सुनकर ही निर्णय पारित किया जाना था।

इस वाद में तनकियात कायम किये बिना ही वाद को डिक्री कर दिया है जो एक कानूनी भूलकर वाद को डिक्री किया या है इसलिए पत्रावली को वा[illegible]ई में लेकर विधिवत सुनवाई कर [illegible] भूमिधारी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

जो एक कानूनी भूलकर वाद को डिक्री किया गया है इसलिए पत्रावली को वापिस सुनवाई में लेकर विधिवत सुनवाई कर ही भूमिधारी को साक्ष्य सबुत का पर्याप्त अवसर देकर निर्णय पारित किया जावें। इस वाद में राज्यहित निहित है। इसलिये हर पहलू पर भूमिधारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था परन्तु भूमिधारी को विधिवत नहीं सुना गया है। इसलिये विधिवत सुनवाई हेतु पत्रावली को वापिस सुनवाई में ली जावें।

अतः माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश 47 नियम 01, सी0पी0सी0 114 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इस वाद में जारी की गई डिक्री को रदद् कर राजहित को ध्यान में रखते हुए पत्रावली को पुनः सुनवाई में ली जाकर विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जावें तथा विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादी ने मियाद अधिनियम अर्न्तगत धारा 05 का प्रार्थना पत्र पेश किया। राज्यहित को देखते हुए मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बहस सुनी गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 1001 रकबा 18 बिस्वा किस्म गै0मु0 बगीची दर्ज है तथा खसरा सं0 1002 रकबा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0 मन्दिर दर्ज है। उक्त किस्म अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियां है। जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं है। मन्दिर डोली की भूमि के खातेदारी अधिकार उत्पन्न ही नहीं होते है। अतः रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 27.08.2021 बअनुवान बाबुलाल बनाम सरकार को अपास्त कर निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल करने की कृपा करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वाके सरहद डीडवाना के खसरा सं0 1001 रकबा 18 बिस्वा किस्म गै0मु0 बगीची दर्ज है तथा खसरा सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

1002 रकबा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0 मन्दिर दर्ज है। उक्त किस्म अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियां है। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि होने से खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं है। मन्दिर डोली की भूमि के खातेदारी अधिकार उत्पन्न ही नहीं होते है। अतः निर्णय में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व वाद सं0 06/2013 बअनुवान बाबुलाल बनाम सरकार में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2021 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड में निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल की जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 08.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 06/2013 दायर दिनाँक 08.01.2013

वादी		प्रतिवादीगण
1. बाबुलाल पुत्र चतरदास जाति साद निवासी सिंधी तलाई के पास डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय नौर 2. तहसीलदार, डीडवाना

रिव्यू प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01, सी.पी.सी. 114

दिनाँक 08.09.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई तहसीलदार, डीडवाना प्रति0 सं0 02 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व वाद सं0 06/2013 बअनुवान बाबुलाल बनाम सरकार में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.08.2021 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रेकर्ड में निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल की जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.09.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च जो अदालत के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner